न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

मिसल नम्बर – 2025/15

1. मोहम्मद नासिर खान आत्मज स्व0 अब्दुल रहीम जाति मुसलमान निवासी 3–ए–11 विज्ञान नगर कोटा (राज0)

– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा – 88, 89 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक – 14/7/25

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई प्रकरण निम्न प्रकार हैः–

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि :–

– वादी के पिता की कृषि भूमि खसरा नम्बर 28/364 की रकबा 0.1000 हैक्टर, वाके ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा कोटा मे स्थित है।

– वादी की माता का देहान्त दिनांक 04.03.2018 को हो गया है, तथा वादी के पिता का देहान्त दिनांक 27.07.2019 को हो गया है। (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है)

– तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा द्वारा अभी तक भी वादग्रस्त आराजी वादी के पिता के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रखी है, जबकि स्व. अब्दुल रहीम जी की मृत्यु के बाद उनका फौती इन्तकाल खोला जाना चाहिए था।

– वादी के अलावा स्व० अब्दुल रहीम जी के एक पुत्री हीना कौसर पत्नी श्री जाकिर हुसैन निवासी मकान नम्बर 4–जे–22 विज्ञान नगर कोटा है।

– हीना कौसर जो कि वादी की बहिन है, उसने वादी के विरूद्ध अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम–3 कोटा में एक वाद, वास्ते घोषणा एवं निरस्त किये जाने दान–पत्र एवं हक त्याग–पत्र तथा आदेशात्मक निषेधाज्ञा का पेश किया था, जिसमे दोनो भाई बहिनो के आपसी समझोता दिनांक 12.01.2023 को हो गया था, जिसमे सम्पत्ति, कृषि भूमि, मकान, जायदाद, जो हीना कौसर व उसके पिता के नाम दर्ज हैं, उसे प्रतिवादी अर्थात मोहम्मद नासिर खान अपने नाम करालेवें, इसमे हिना कौसर (वादिनी) को कोई आपत्ति नही होगी, और भविष्य मे किसी भी प्रकार का कोई क्लेम, उज्रदारी, विरासत की सम्पति को लेकर पेश नही करेगी।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

– इस प्रकार न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम–3 कोटा के यहां पर राजीनामा तस्दीक होने के पश्चात हीना कौसर द्वारा अपना हिस्सा छोड दिया है, इस कारण से उसे प्रस्तुत वाद में पक्षकार बनाने का कोई औचित्य नही रहा है। समझोते की प्रति वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत है।

– इस कारण से वादी ही स्व. अब्दुल रहीम जी की वादग्रस्त आराजी को अपने खाते मे दर्ज कराने का अधिकारी है। तदर्थ यह वाद प्रस्तुत है।

– वादी द्वारा दिनांक 05.12.2024 को तहसील के कर्मचारियों से वादग्रस्त आराजी को वादी के नाम खाते में दर्ज करने की कहा, तो उन्होने सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने को कहा, जिस पर वादी द्वारा यह वाद तुरन्त पेश किया जा रहा है।

– वाद कारण वादी द्वारा दिनांक 05.12.2024 को तहसील कर्मचारियों से वादग्रस्त आराजी को अपने नाम दर्ज करने की कहने व उनके द्वारा वाद प्रस्तुत करने की कहने पर इस सम्माननीय न्यायालय की अधिकार सीमाओं में ही उत्पन्न हुआ है।

– वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम रामचन्द्रपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा की कृषि आराजी खसरा नम्बर 28/364 की रकबा 0.1000 हैक्टर का वादी को गैर खातेदार घोषित किया जावे, तदानुसार रेवेन्यू रिकोर्ड मे अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

वादिनी हीना कौसर द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम 3 कोटा (राज0) उक्त सम्पतियॉ के संबंध मे वाद प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत वाद मे उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि :–

- वादनी ने ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा संख्या 28/364 की रकबा 0.1000 हैक्टर चाही प्रथम जो कि वादनी एवं प्रतिवादी के पिता श्री अब्दुल रहीम पुत्र मोलाबख्श के नाम है। एक अन्य कृषि भूमि ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा खसरा संख्या 30, 32 कुल खसरा 2 रकबा 1.07 हैक्टर है जो कि प्रतिवादी मोहम्मद नासिर के नाम दर्ज रजिस्टर हे एवं उसके ही कब्जे मे है। एक अन्य मकान 3–क–77 वाके विज्ञान नगर कोटा के बारे मे वादनी ने पूर्व मे हक त्याग आलेखित किया था एवं अन्य समस्त कृषि भूमि एक अन्य मकान रिहायशी विज्ञान नगर कोटा अन्य चल व अचल संपत्ति बाबत वादनी एवं प्रतिवादी के पिता ने जीवनकाल मे जरिये दान पत्र दिनांक 6–10–2016 प्रतिवादी के पक्ष मे समस्त अधिकार हस्तान्तरित कर दिये थे।

- यह कि वादनी ने उक्त संपत्ति के मामले में माननीय न्यायालय मे सिविल वाद पेश किया जो कि माननीय न्यायालय में दर्ज रजिस्टर होकर हीना कौसर बनाम मो.

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

नासिर सिविल वाद संख्या 101/2021 एवं सिविल मिसलेनियस 129/2021 विचाराधीन है, उक्त प्रकरण मे हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है और उपरोक्त समस्त चल, अचल संपत्ति, मकान जायदाद, कृषि भूमि, जेवर, नकदी जो भी विरासत के अधिकार मे प्रश्नगत किये गये हैं उक्त सभी वाद विवाद के निस्तारण के लिये वादनी ने प्रतिवादी से एक मुश्त सेटलमेन्ट कर लिया हे अब उक्त राजीनामे के बाद वादनी ने प्रतिवादी के विरूद्ध जो भी मुकदमे किये हैं वह सब राजीनामे में वर्णित शर्तों के अनुरूप वापस ले लेगी और जो संपत्ति, कृषि भूमि, मकान, जायदाद, वादनी एवं प्रतिवादी के पिता के नाम है वे प्रतिवादी अपने नाम करा लेवे इसमे वादनी को कोई आपत्ति नही होगी और भविष्य मे किसी भो प्रकार का कोई क्लेम, उज्रदारी विरासत की संपत्ति को लेकर पेश नही करेगी। प्रतिवादी उक्त संपत्ति कृषि भूमि, मकान जायदाद चल, अचल संपत्ति नकद जो भी है उसका उपयोग अपनी ईच्छानुसार कर सकेगा, वह उक्त संपत्ति को स्वयं रखे, विक्रय करे, रहन, बैय, हिबा करे इसके लिये वह स्वतंत्र रूप से हकदार होगा।

न्यायालय अपन सेशन न्यायाधीश क्रम 3 कोटा द्वारा उक्त वाद मे दिनांक 11.02.2023 को निम्न आदेश पारित किया गया था :–

पत्रावली आज दिनांक 11.02.2023 राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष पेश हुयी। पक्षकारान के मध्य पूर्व में लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया जा चुका है। जो पूर्व मे तस्दीक किया जा चुका है। वादिनी द्वारा प्रकरण को आगे नही चलाना चाहा प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही शेष नही रही है, अतः यह वाद राजीनामे के आधार पर निस्तारित किया जाता है।

प्रतिवादी तहसीलदार लाडपुरा को तलब किया गया। प्रतिवादी के लगातार अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गयी।

बहस एक पक्षीय सुनी गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी पर गंभीरता पूर्वक मनन किया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि ग्राम रामचन्द्रपुरा मे अब्दुल रहीम पुत्र मौला बक्श के नाम खसरा नम्बर 28/364 रकबा 0.10 हैक्टर आराजी गैर खातेदारी मे दर्ज रिकोर्ड है।

श्री अब्दुल रहीम का देहांत 27.07.2019 को तथा उनकी पत्नि श्रीमती खुसनुदी बेगम का देहांत दिनांक 04.03.2018 को हो चुका है। श्री अब्दुल रहीम के 2 वारिस थे जिसमे से एक वादी है, तथा एक वादी की बहन हीना कौसर पत्नि श्री जाकिर हुसैन है। हिना कौसर द्वारा स्व0 श्री अब्दुल रहीम की सम्पतियों के संबंध मे एक वाद न्यायालय अपर सेशन

उपखण्ड अधिकारी
को.

न्यायाधीश क्रम 3 कोटा मे प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 11.02.2023 को राजीनामे के आधार पर निस्तारित किया गया है। उक्त राजीनामे मे हीना कौसर ने ग्राम रामचन्द्रपुरा की आराजी खसरा नम्बर 28/364 रकबा 0.10 हैक्टर पर वादी मो0 नासीर खान के हक को स्वीकार कर लिया गया था।

हीरा कौसर द्वारा किये गये उक्त राजीनामे के पश्चात वादी मो0 नासीर खान हस्तगत आराजी का एक मात्र स्वामी है। अतः न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम 3 कोटा के निर्णयानुसार ग्राम रामचन्द्रपुरा की आराजी खसरा नम्बर 28/364 पर मृतक गैर खातेदार श्री अब्दुल रहीम के स्थान पर वादी मो0 नासीर खान का नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि हिना कौसर द्वारा एक वाद बाबत् घोषणा एवं निरस्त किये जाने दानपत्र एवं हक त्याग न्यायालय अपर जिला सेशन न्यायाधीश क्रम 3 के न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त वाद राजीनामे के आधार पर दिनांक 11.02.2023 निस्तारित किया गया था। प्रस्तुत राजीनामा भी पत्रावली मे संलग्न है जिसके अनुसार हीना कौसर द्वारा ग्राम रामचन्द्र पुरा की आराजी खसरा 28/364 को वादी मो0 नासीर खान के पक्ष मे दर्ज किये जाने की सहमती दी गई थी।

उक्त विवेचन के आधार पर हम वादी मो0 नासीर खान का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः वादी मो0 नासीर खान द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम रामचन्द्रपुरा की आराजी खसरा नम्बर 28/364 रकबा 0.10 हैक्टर पर मृतक गैरखातेदार अब्दुल रहीम के स्थान पर वादी मो0 नासीर खान का नाम गैरखातेदार के रूप मे दर्ज किया जावे।

डिक्री परचा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, कोटा